संख्या-3-2401 /77-3-14-03 बजट/14

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक: 16 जनवरी, 2015**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनागत मद में 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु समाज कल्याण विभाग (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) के अनुदान संख्या-83 के तहत आय-व्ययक प्राविधान से ₹18,49,38,400.00(रूपये अट्ठारह करोड़ उन्चास लाख अड़तीस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या-1411/यूपीडा/14/216, दिनांक 05.12.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना के बृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 600,00,00,000.00 (रूपये छ: सौ करोड़ मात्र)में अवशेष धनराशि में से ₹18,49,38,400.00(रूपये अट्ठारह करोड़ उन्चास लाख अड़तीस हजार चार सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिए स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी।

2- कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिए पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित हैं।

3- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

4- कार्यस्थल पर इसे उपर्युक्त जिला योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापटट/बोर्ड के रूप में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रदर्शित किये जायेंगे।

5- द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी भी करायी जाये।

6- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम 31.03.2015 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक समाज कल्याण् विभाग/नियोजन विभाग/औद्योगिक विकास विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रयमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात दिनांक 31.05.2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग एवं औद्योगिक विकास विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना-24-बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 के अशासकीय संख्या-ई-6-22/दस-2015, दिनांक 15.01.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अनिल कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या-2401(1)/77-3-14-तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1.महालेखाकार,(प्रथम)उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2.मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पर्यटन भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
3.निदेशक,वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय,जवाहर भवन, लखनऊ।
4.मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5.निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/6, वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/औद्योगिक विकास अनुभाग-2।
7.समाज कल्याण, (बजट प्रकोष्ठ), उत्तर प्रदेश शासन।
8.गार्डफाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in